


26/2/20

वकील अपीलत इपरीत / हेरफेर की ओर से  
श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता एडवोकाट का बयानामना  
पेश हुआ जो शा. पक्ष विषय में अपीलत  
की ओर से एक प्रा. पत्र बाबत अपीलत को  
एक विज्ञापन शक्ति किये जाने का पेश हुआ  
जिसे वकील हेरफेर द्वारा No Objection किया  
गया है। चूंकि पक्षकारों के मध्य रजिस्ट्रार  
हो जाने से अपीलत विज्ञापन की एकीकरण प्रदान  
की जाती है। एवं यह अपीलत एक विज्ञापन शक्ति  
की जाती है। जजवानी के समय सुमप होकर बाद  
वकील वकील वकील द्वारा दायर है।

  
जिजा कलक्टर  
कोय

निकादी

बि. नं. 12